(अनवान सुखदेव सिंह बनाम कपूर सिंह वगैरह
राजस्व वाद संख्या :– 175 / 2023)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार अग्रवाल आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 175 / 2023

सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.... **वादी**

बनाम

1. कपूर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. करतार सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. कशमीर सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
4. केहर सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
5. गुरभगत सिंह पुत्र श्री बोड सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
6. जुगराज सिंह पुत्र श्री किकर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
7. मुख्तयार सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
8. मलकीत सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र किकर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
10. रेशम सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
11. श्रीमती सरजीत कौर पुत्री श्री हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
13. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, सूरतगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता ...वादी
2. पैरोकार राज

प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.02.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/100 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2075–2078) के मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसमें से वादी के नाम से 481/2720 हिस्सा यानि 0.481 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम से सयुंक्त खाता में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अर्सा दराज पूर्व उक्त भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ था तथा अर्सा दराज से उक्त भूमि में से घरू बंटवारा अनुसार मुरब्बा नम्बर 1 के किला नं0 1 की दक्षिणी दिशा का 0.202 है० रकबा, किला नम्बर 10 के साथ चिपता हुआ भाग, किला नं० 2 की दक्षिणी दिशा का 0.202 है0 रकबा, किला नम्बर 9 के साथ चिपता हुआ भाग, किला नं० 3/1 की दक्षिणी पश्चिमी का 0.077 है० रकबा, किला नम्बर 8 व 2 के साथ चिपता हुआ भाग कुल 0.481 हैक्टेयर कृषि भूमि का कब्जा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी के पास चला आ रहा है। मौके पर वादी की फसलें खड़ी है। वादी ने बड़ी मेहनत करके उक्त रकबा को काश्त योग्य बनाया है और उक्त भूमि में काफी धन खर्च करके सुधार कार्य करवाये है। वादी एक पढ़ा लिखा व अग्रणी काश्तकार है जो उक्त भूमि में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता है तथा अपने हिस्सा की भूमि में और अधिक सुधार कार्य करवाना चाहता है। मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है, इसलिए वादी उक्त वर्णित भूमि का कब्जानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सहमति से उक्त भूमि का किला विभाजन घरू बंटवारा अनुसार करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहें. दिनांक 01.07.2023 को उन्होने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इंन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 12 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

(1) यह कि वाद पत्र में वर्णित संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/100 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2075 – 2078) के मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टेयर कृषि भूमि के किला विभाजन की डिक्री घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार पारित की जाकर वादी को चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 123/100 का मुरब्बा नम्बर 1 का किला नम्बर 1(0.202 है० दक्षिणी भाग किला नम्बर 10 के साथ चिपता हुआ), 2 (0.202 है० दक्षिणी भाग किला नम्बर 9 के साथ चिपता हुआ), 3/1 (0.077 है0 दक्षिणी पश्चिमी भाग किला नम्बर 8 व 2 के साथ चिपता हुआ) कुल 0.633 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज करवाया जावे।

(2) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी साधारण सम्मन से नहीं होने पर वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण के सम्मन जरिए सम्माचार पत्र साया करवाये गये। प्रतिवादीगण की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तलबी हेतु सम्मन अखबार में साया करवाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व 13 के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने से वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए क्रमांक/भू.अ./524 दिनांक 02.02.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क.सं.	**खातेदार का नाम**	**रकबा का विवरण**
1	सुखदेव सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी	मुरबा नम्बर 1 किला नं. 1 में 0.202 हैक. दक्षिणी हिस्सा, किला नं. 2 में 0.202 हैक. दक्षिणी हिस्सा, किला नं. 3/1 में 0.077 हैक. दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कुल 0.481 हैक. नहरी

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05.02.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner